तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10-9-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-9-17 को पेश हो। रीडर
7-9-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-9-17 को पेश हो। रीडर
18-9-17	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-9-17 को पेश हो। रीडर
25-9-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रा०पत्र आदेश 23 नियम 1 C.P.C. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ... कलेक्टर गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला
लेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

दमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2004	31.1.2004	25-9-2017
यन आफ इंडिया	बनाम	रामकिशोर वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण को विद ड्रा करने

अन्तर्गत आदेश 24 नियम 1 सी0पी0सी0

स्थित :– श्री रामकल्याण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में र्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण को विद ड्रा करने अन्तर्गत देश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया है कि रोक्त उनवान का प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम नीय न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन है। मौजूदा सूरत में राजस्व डल अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में कितने ही र्णय पारित करते हुए यह माना गया है कि इन्द्राज दुरूस्ती सम्बन्धी रणों का निबटारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नहीं किया सकता है अपतु रेगुलर वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रार्थी रा यह प्रकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया इस कारण मौजूदा पारित निर्णयों के परिपेक्ष में प्रार्थी को प्रकरण में फलता की उम्मीद नहीं है। रेल्वे विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी जिसमें रेल्वे विभाग को पीपीई एक्ट में र्यवाही करने हेतु अधिकृत माना गया है व रेल्वे विभाग द्वारा पीपीई एक्ट कार्यवाही भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध शुरू कर दी गई है। राजस्थान उच्च यालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के सम्बन्ध में सिविल सूट पेश करने का भी र्णय में निर्देश दिया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थी विचाराधीन मामले अपने समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए तथा आवश्यकता होने पर या वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकरण को हित में विद ड्रा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर विनय है प्रार्थी को प्रकरण के सम्बन्ध में नया वाद पेश करने की स्वीकृति प्रदान ते हुए विचाराधीन प्रकरण को विद ड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि कानूनी स्थिति सर्वविदित है कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र से न्द्राज दुरूस्ती सम्बन्धी प्रकरणों का निपटारा नहीं हो सकता है फिर भी र्थी यूनियन आफ इंडिया की ओर से बिना उचित कारण भू–राजस्व अधि0

प्रा0पत्र आदेश ... किया जाता है। ...सल जाकर पत्रावली ...ली फैसल शुमार ... बाद तकमील

...कलेक्टर
...र सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

धारा 136 के तहत यह जानते हुए भी पेश कर दिया कि प्रार्थना पत्र नेबल नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में यूनियन आफ इण्डिया ने ा तौर से एस0बी0 रिट पिटीशन संख्या 1882/2015 पेश की थी जिसे ालय ने दिनांक 20.4.2015 को खारिज कर दिया। इसके बाद डी0बी0 न अपील नं0 543/2015 पेश की जो दिनांक 16.3.2016 को खारिज दी गई। प्रार्थी रेल्वे का यह कथन गलत है कि उसे पी0पी0ई0 एक्ट में ैवाही करने को अधिकृत माना हो। अपने निर्णय में माननीय उच्च ालय ने सिविल सूट करने का कोई निर्देश नहीं दिया है बल्कि ालय ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि रिट के स्थान पर वे रेवेन्यू या ेल सूट कर सकते थे। पी0पी0ई0 एक्ट की कार्यवाही के बारे में लिखा है ऐसी अल्टरनेटिव रिमेडी ली जा सकती है। यह रेमेडी लेना या नहीं लेना पर निर्भर है। प्रार्थी यूनियन आफ इण्डिया कोई शर्त लगाते हुए प्रकरण दिद्ध नहीं कर सकता । जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रावधान केवल वाद के लिए ही लागू हैं और यह भी तब जबकि दावे में कोई फार्मल डिफेक्ट हो परन्तु जहां ा ही मेन्टेनेबल नहीं हो तो आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रावधान नहीं होते परन्तु मौजूदा प्रकरण वाद न होकर मात्र एक प्रार्थना पत्र है लिए आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य है। पूर्व में यूनियन आफ इण्डिया की ओर से सहायक भू–प्रबन्ध धिकारी के यहां एक प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती बाबत पेश किया ाि समें यूनियन आफ इण्डिया के पक्ष में निर्णय हुआ था। उसकी अपील भू– न्ध अधिकारी अलवर के यहां अप्रार्थीगण द्वारा की गई जो मंजूर हुई और एस0डी0 का निर्णय अपास्त हुआ। उस निर्णय के विरूद्ध भू–प्रबन्ध युक्त जयपुर के समक्ष यूनियन आफ इण्डिया ने अपील पेश की जो रिज हो गई। इसके बाद यूनियन आफ इण्डिया ने राजस्व मण्डल में कोई ैवाही नहीं की व भू–प्रबन्ध आयुक्त का निर्णय अन्तिम रहा। उस निर्णय ांक 15.4.85 में लिखा गया था कि यूनियन आफ इण्डिया चाहे तो रेगूलर पेश करे परन्तु यूनियन आफ इण्डिया ने कोई दावा पेश नहीं किया ंतु धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश कर ा जो रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। उपरोक्त परिस्थितियो में यन आफ इण्डिया का यह प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति विड्रावल खारिज योग्य है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र बाबत् अनुमति ारी हर्जा खारिज फरमाया जावे तथा इस प्रकरण में पारित आदेश दि0 2011 का स्थगन आदेश जो यूनियन आफ इण्डिया के पक्ष में पारित हुआ निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी यूनियन आफ इण्डिया के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के सार बहस करते हुए कहा कि वर्ष 1953 में प्रार्थी रेल्वे की 81 एकड भूमि

के लाईसेन्स पर राजस्थान सरकार को ग्रो मोर फूड योजना के तहत गई थी जिसे राजस्थान सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों को काश्त हेतु दे। इसके बाद इन व्यक्तियों ने राजस्थान सरकार से मिलकर इस भूमि खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। खातेदारी अधिकार किस आदेश के प्राप्त किए गए यह आदेश अप्रार्थीगण ने आज तक प्रस्तुत नहीं किए प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुनिसपल बोर्ड बाडमेर बनाम स्टेट आफ राजस्थान राज्य व में दिनांक 1.8.2015 को पारित निर्णय (आर0आर0टी0 2015(1) पेज 20 अनुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियां परिशोधित की जा सकती है। वर्तमान मामले में धारा 136 लै0रे0एक्ट के तहत कार्यवाही न चलकर वाद के माध्यम से कार्यवाही होना आवश्यक है इसलिए वर्तमान प्रार्थना पत्र को नवीन वाद पेश करने की अनुमति के साथ विद ड्रा करने की अनुमति प्रदान की जावे जो आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विद्वान वकील ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज रामगंजमंडी बनाम रेल्वे विभाग में पारित निर्णय दिनांक 13.6.2017 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड बेंच में यूनियन आफ इण्डिया बनाम स्टेट आफ राजस्थान प्रकरण में दिनांक 16.3.2016 को पारित निर्णय की प्रति पेश करते हुए वर्तमान प्रकरण में आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वर्तमान भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न न्यायालयों से निर्णय हो चुके हैं तथा वर्ष ... में भू–प्रबन्ध आयुक्त ने प्रार्थी रेल्वे विभाग को रेगूलर सूट पेश करने हेतु अपने निर्णय में लिखा था परन्तु रेल्वे विभाग ने यह कार्यवाही नहीं की एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है एवं खारिज होने योग्य है एवं इसी बिन्दु पर बहस हेतु ही यह प्रकरण चल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण दावा न होकर प्रार्थना पत्र है एवं आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के अनुसार दावे को ही वापिस लेने की कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र तहत आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे साथ ही मूल प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट भी खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामला मुख्य रूप से रेल्वे विभाग की 81 एकड जमीन को लेकर है जिसे रेल्वे ने ग्रो मोर फूड योजना के तहत राजस्थान सरकार को वर्ष 1953 में दी थी। उसके बाद अप्रार्थीगण ने राजस्थान सरकार से यह भूमि प्राप्त कर इस परखातेदारी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कार भी प्राप्त कर लिए। प्रार्थी रेल्वे विभाग इस भूमि पर पुनः अपना कार चाहता है एवं यह कार्यवाही धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत ह नहीं है क्योंकि इसमें राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती केवल कीय त्रुटि की ही हो सकती है जबकि यहां मामला रेल्वे विभाग द्वारा पर पुनः अधिकार प्राप्त करने से सम्बन्धित है एवं यह कार्यवाही नियमित के बिना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च ालय जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील(रिट) नं0 543/2015 ानी यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं में दिनांक 16.3.2016 में भी रेगूलर सूट के माध्यम से कार्यवाही के ख में स्पष्ट राय व्यक्त की गई है। अतः माननीय राजस्थान उच्च ालय के निर्णय दिनांक 16.3.2016 एवंमाननीय राजस्व मण्डल अजमेर के य दिनांक 136.2017 को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले की गम्भीरता को ते हुए हम प्रार्थी रेल्वे विभाग द्वारा आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के ा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी यूनियन आफ इण्डिया रेल्वे ाग द्वारा आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत दिनांक 8.6.2017 को ुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी को नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति के साथ ाल विचाराधीन प्रकरण विद ड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25-9-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी